समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) से (ग). यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जायेगी ।

भारत बैरल एण्ड ड्रम मनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का काली सूची में रखा जाना

3308. श्री प० ला० बारूपाल
श्री मुद्रिका सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली सूची में रखी गई फर्म का नाम उस पर लगाये गये सभी अरोपों से न्यायालय द्वारा ससम्मान बरी किये जाने तथा काली सूची से उसका नाम निकालने का आदेश दिये जाने पर भी उस सूची में दर्ज रहता है;

(ख) किसी फर्म का नाम काली सूची में कितने समय तक रखा जा सकता है तथा फर्मों को काली सूची में रखने सम्बन्धी सिद्धांत क्या हैं; और

(ग) क्या बम्बई की भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैकचरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटड नामक फर्म का नाम अब भी काली सूची में है जब कि बम्बई उच्च न्यायालय ने उसे ससम्मान बरी कर दिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) (क) काली सूची से सम्बन्धित आदेश तब तक लागू रहता है जब तक कि इस का प्रतिसंहरण (Revoke) न कर दिया जाये । यदि न्यायालय ने फर्म को उस पर लगाये गये उन आरोपों से, जिन के कारण काली सूची से सम्बन्धित आदेश जारी किये गये थे, बरी कर दिया हो, तो काली सूची के आदेश हटाने पर विचार करने के लिये यह एक कारण हो सकता है । यदि न्यायालय द्वारा काली सूची में सम्बन्धित आदेश की कार्यान्विति को निलम्बित कर दिया जाता है तो इसे कुछ काल के लिये स्थगित करना हो गया ।

(ख) काली सूची के जारी रहने की कोई निश्चित समयावधि नहीं है। प्रत्येक केस के तथ्यों के आधार पर अवधि निर्धारित की जाती है । सरकार विभागों / उपक्रमों से व्यापार करने में कदाचारों के कारण काली सूची के आदेश जारी किये जाते हैं ।

(ग) जुलाई, 66 में पंजाब हाई कोर्ट ने भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफ़ैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के काली सूची में रखे जाने से सम्बन्धित दिनांक 25-1-64 के आदेश को आगामी आदेशों तक जारी रखने का निदेश किया था । अत: काली सूची के आदेश को स्थगित कर दिया गया है ।

Barrels for I.O.C.

3309. Shri Ram Dhan:
Shri N. K. P. Salve:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Oil Corporation Ltd. had invited through Tender No. OP|TEN-7|65 for their requirement of oil barrels for the year 1966-67;

(b) whether it is also a fact that orders for the supply of barrels against the above tender were placed by them on Messrs. Hind Galvanising and Engineering Co. Pvt. Ltd., and Messrs. Standard Drum and Barrel Mfg. Co. in spite of the fact that the prices quoted by Messrs. Bharat Barrel and Drum Mfg. Co. Pvt. Ltd. were lower;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) the amount of loss sustained by Indian Oil Corporation Ltd. in placing the orders at higher prices;